

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 85/2017-सीमाशुल्क (गै.टे)

नई दिल्ली, 7 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतत् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम दो में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रबिष्टि में उल्लिखित आयुक्त, सीमाशुल्क (लेखापरीक्षा) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क या मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क के रूप में नियुक्त करता है तथा उक्त सारणी के कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रबिष्टि के अनुसार कॉलम (3) में उल्लिखित अधिकारियों का कार्य क्षेत्र होगा।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम		लेखापरीक्षा के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त, चेन्नई	सीमाशुल्क आयुक्त (लेखापरीक्षा), चेन्नई	संपूर्ण भारत
2.	मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त, दिल्ली	सीमाशुल्क आयुक्त (लेखापरीक्षा), दिल्ली	संपूर्ण भारत
3.	प्रधान मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त, मंबई जोन I	सीमाशुल्क आयुक्त (लेखापरीक्षा), मंबई	संपूर्ण भारत

2. यह अधिसूचना 15 सितंबर, 2017 से लागू हो गई है।

[फा.सं. 450/100/2017-सीमाशुल्क IV]

सत्यजीत मोहंती
निदेशक (आईसीडी)